

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर
जिला—सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक / / मु.लि. / 2017

सूरजपुर, दिनांक

१२ हाय कल सूरजपुर १५/०५/१७

१५ वा १५ वा १५/०५/१७

शाखा..... तिथि.....

मई 2017

11 MAY 2017

प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
राजनांदगांव (छ.ग.),

अधीकारी

कलेक्टर

विषय :- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2016-17, ग्राम-जनार्दनपुर में
अधिनियम की धारा-4 सहपठित नियम 7 की अधिसूचना का प्रकाशन के
सम्बन्ध में।

—::—

विषयांतर्गत भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-4
सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिसूचना तीन तीन प्रतियाँ संलग्न कर छत्तीसगढ़ राजपत्र में
प्रकाशनार्थ भेजा जा रहा है। कृपया अधिसूचना का छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में
प्रकाशन उपरांत प्रकाशन की सूचना इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

सही।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 701A / मु.लि. / 2017

सूरजपुर, दिनांक 08 मई 2017

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा/एन.आई.सी. शाखा, जिला कार्यालय सूरजपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित। अधिसूचना की एक-एक प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया अधिसूचना को समुचित सरकार के वेब साइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।
2. तहसीलदार, प्रेमनगर को अधिसूचना की प्रतियों सहित संबंधित ग्राम पंचायत, एवं तहसील कार्यालय, प्रेमनगर के नोटिस बोर्ड में चर्चा कर प्रकाशन की जानकारी भेजने हेतु।
3. तहसीलदार, सूरजपुर को अधिसूचना की प्रतियों सहित जिला कार्यालय, अ.वि.अ. (रा.) कार्यालय, सूरजपुर के नोटिस बोर्ड में चर्चा कर प्रकाशन की जानकारी भेजने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

प्ररूप—एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सूरजपुर एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

रा.प्र.क्र. ०२/अ-८२/२०१६-१७

सूरजपुर, दिनांक २३. ०४.२०१७

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्ववस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात :

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
सूरजपुर	प्रेमनगर	जनार्दनपुर	53.256	परसा कोल ब्लाक खुली खदान परियोजना
		योग	53.256	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाधात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 23.06.2017 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे से (स्थान) ग्राम पंचायत भवन जनार्दनपुर पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

कण्डिका	विवरण
एक— लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	परसा कोल ब्लाक, खुली खदान परियोजना
दो— प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	16
तीन— अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	0
चार— प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	9
पांच— प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	0
छः— क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	हाँ
सात— क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हाँ
आठ— परियोजना की कुल लागत	रुपये 1450/- करोड़
नौ— परियोजना से होने वाला लाभ	रोजगार की प्राप्ति एवं क्षेत्र का विकास
दस— प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
ग्यारह— परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अ.वि.आ. (रा.) एवं
भू—अर्जन अधिकारी
सूरजपुर, जिला—सूरजपुर (छ.ग.)


कलेक्टर
सूरजपुर (छ.ग.)